बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

हमारा बिहार

बिहार सरकार

पत्रांक– 10/नि0 (ब0पा0) 02/2023.............................. दिनांक– ..../2023

वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य स्कीम अन्तर्गत "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत अनुदानित दर पर बकरी वितरण की योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु

"कार्यान्वयन अनुदेश"

वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभागीय स्वीकृति आदेश पत्र सं0– 6 एस0एस0 (6) 18/ 2019– 4131, दिनांक– 06.11.2023 के द्वारा कुल रूपये 522.856 लाख (पाँच करोड़ बाईस लाख पचासी हजार छह सौ रूपये) मात्र की अनुमानित लागत पर राज्य योजना अन्तर्गत "समेकित बकरी एवं भेंड़ विकास योजना" के तहत राज्य में अनुदानित दर पर बकरी वितरण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त स्वीकृति आदेश की कंडिका – 13 के आलोक में योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देश (कार्यान्वयन अनुदेश) निर्गत किया जाता है :–

उद्देश्य :–

1. राज्य स्कीम के तहत समेकित बकरी एवं भेंड़ विकास योजनान्तर्गत राज्य में बकरी विकास के लिये ग़रीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले (बी0पी0एल0) परिवारों के बीच उन्नत नस्ल के तीन प्रजनन योग्य बकरी (एक इकाई) अनुदानित दर पर वितरण किया जाना है।

योजना के मुख्य बिन्दु :–

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में कम उत्पादकता वाली स्थानीय नस्ल की बकरियों को उच्च उत्पादकता वाली नस्ल से प्रतिस्थापित किया जाना है। साथ ही बकरी पालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा/बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है। बकरी/बकरा पशुजन्य प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत है। बकरी/बकरा उत्पादन से पशु जन्य प्रोटीन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है तथा बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होता है। साथ ही बकरीपालकों की आय में वृद्धि होती है तथा राज्य में खाद्य पदार्थों एवं प्रोटीन की उपलब्धता में वृद्धि होती है।

इस योजना के तहत जिला पशुपालन पदाधिकारी के माध्यम से चयनित लाभुकों के बीच उन्नत नस्ल (ब्लैक बंगाल) के तीन प्रजनन योग्य (एक इकाई) बकरी का अनुदानित दर पर वितरण किया जाना है।

3. इस योजना के कार्यान्वयन से निम्नांकित लाभ होंगे :

I. राज्य में बकरी/बकरा उत्पादन से मानव उपयोग के निमित्त पशु जन्य प्रोटीन की उपलब्धता में वृद्धि।

ii. उन्नत नस्ल के बकरी/बकरा के उत्पादन में राज्य की आत्मनिर्भरता।

दूरभाष संख्या: 0612-2215962 ई-मेल:dirahd-bih@nic.in वेबसाइट:state.bihar.gov.in/ahd

iii. रोजगार के अवसर की उपलब्धता।

iv. बकरीपालकों की आय में वृद्धि।

v. बकरा/बकरी मांस उत्पादन में वृद्धि।

4. प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं:-

इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जाना है। जिला स्तर पर योजना का कार्यान्वयन संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

बिहार पशु प्रजनन नीति-2011 में अनुशंसित नस्ल में से ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियों को इच्छुक गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले (बी0पी0एल0) परिवारों के बीच 80 प्रतिशत अनुदानित दर पर तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों के बीच 90 प्रतिशत अनुदानित दर पर वितरित किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में सम्पूर्ण राज्य में सामान्य घटक के तहत उपलब्ध राशि से 1006 परिवारों, अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक के तहत उपलब्ध राशि से अनुसूचित जाति के 2200 परिवारों एवं जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के तहत उपलब्ध राशि से अनुसूचित जनजातियों के 735 परिवारों अर्थात कुल 3941 परिवारों के बीच उन्नत नस्ल की तीन प्रजनन योग्य (एक इकाई) बकरियों का अनुदानित दर पर वितरण किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक-1 संलग्न है। निदेशक, पशुपालन द्वारा आवश्यकतानुसार जिलावार निर्धारित लक्ष्य (अनुलग्नक-2) में संशोधन किया जा सकता है।

5. योजना हेतु लाभुकों का चयन जिला स्तर पर किया जायेगा।

6. प्रति बकरी इकाई (तीन उन्नत नस्ल की प्रजनन योग्य बकरी) का औसत अनुमानित अधिकतम मूल्य रूपये 15,000/- की दर से सामान्य कोटि हेतु प्रति बकरी इकाई 80 प्रतिशत की अनुदानित दर रू0 12,000/-प्रति इकाई तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 90 प्रतिशत की अनुदानित दर रू0 13,500/- प्रति इकाई की दर से 3941 बकरी इकाई का वितरण करने एवं IEC (Information, Education & Communication) material पर कुल रूपये 522.856 लाख (पाँच करोड़ बाईस लाख पचासी हजार छह सौ) मात्र व्यय होगा।

7. बकरियों के रख-रखाव एवं भोजन आदि की व्यवस्था लाभुक द्वारा स्वयं की जायेगी।

8. बकरियों के आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्त्ता को सूचीबद्ध (Empanelled) पशुपालन निदेशालय द्वारा Tender/ Expression of Interest (EoI) के माध्यम से किया जायेगा।

9. योजना के तहत आवेदन/लाभुकों का चयन/अनुदान के भुगतान इत्यादि की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-

i. योजना का कार्यान्वयन जिला स्तर पर किया जायेगा तथा योजना का प्रचार–प्रसार कर पारदर्शी तरीके से ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्त किया जायेगा। आवेदन प्रपत्र का प्रारूप (अनुलग्नक–3) संलग्न है।

ii. ऑन लाईन (Online) आवेदन प्राप्त करने के लिए सेवा प्रदान करने हेतु एजेन्सी का चयन पशुपालन निदेशालय के द्वारा किया जायेगा। चयनित एजेन्सी को भुगतान की कार्रवाई पशुपालन निदेशालय, बिहार के द्वारा किया जायेगा।

iii. आवेदनों की प्रारंभिक जाँच (Screening) संबंधित जिला के सहायक कुक्कुट पदाधिकारी/प्रभारी सहायक कुक्कुट पदाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर से प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

iv. सभी प्राप्त आवेदनों को संबंधित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी/प्रभारी प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी/संबंधित भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा स्थल जाँच किया जायेगा। लाभुक के चयन में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके पास बकरियों के रख–रखाव हेतु Backyard में पर्याप्त जगह उपलब्ध हो एवं उन्हें पूर्व में बकरी वितरण की योजना (जीविका के माध्यम से कार्यान्वित) का लाभ प्रदान नहीं किया गया हो। सभी योग्य लाभुकों की सूची संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

v. संबंधित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी/प्रभारी प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी/संबंधित भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी के लाभुकों की अनुशंसित सूची के आलोक में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा जिलावार लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक लाभुकों का चयन किया जायेगा। लाभुकों के अंतिम रूप से चयन में आवेदन जमा करने की तिथि/समय को प्राथमिकता दी जायेगी अर्थात लाभुकों की वरीयता सूची पहले आओ पहले पाओ के आधार पर तैयार की जायेगी। चयन के उपरान्त लाभुक को स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।

vi. जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप तैयार की गई वरीयता सूची के अनुसार प्रजनन योग्य बकरियों (ब्लैक बंगाल नस्ल) के वितरण की कार्रवाई चयनित आपूर्तिकर्त्ता द्वारा जिला स्तर पर कैम्प लगाकर जिला पशुपालन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में किया जायेगा।

vii. चयनित लाभुक से इस आशय का लिखित शपथ–पत्र लिया जायेगा कि लाभुक द्वारा प्राप्त बकरियों को अगले पॉच वर्षो तक रखकर अपने आर्थिक समृद्धि का कार्य करेंगे।

viii. संबंधित प्रखंड के प्रभारी प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी/भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा नामित पशु चिकित्सा पदाधिकारी की उपस्थिति में बकरियों

का नस्ल एवं स्वास्थ्य जाँच तथा Ear-tagging कराया जायेगा एवं बकरियों के साथ लाभुक का फोटोग्राफ भी लिया जायेगा।

ix. जिला स्तर पर तैयार की गयी वरीयता सूची के आधार पर संबंधित जिला के जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बकरियों के वितरण की सत्यापित सूची तैयार की जायेगी एवं अभिश्रवों एवं फोटोग्राफ के आधार पर आपूर्तिकर्त्ता के बैंक खाता में अनुमान्य अनुदान राशि का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

x. चयनित आपूर्तिकर्त्ता के दर के आधार पर सामान्य कोटि के लाभुकों के अंश की राशि 20 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 3,000/– (तीन हजार) एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभुकों से 10 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 1,500/– (पन्द्रह सौ) बकरी वितरण कैम्प में ही आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा प्राप्त कर ली जायेगी एवं लाभुकों को इसकी रसीद उपलब्ध करायी जायेगी।

xi. जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर से योजना के कार्यान्वयन का नियमित अनुश्रवण कराया जायेगा। योजना की उपलब्धि का मासिक प्रतिवेदन जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

xii. संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी/ भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा स्वास्थ्य जाँच तथा तकनीकी परामर्श आवश्यकतानुसार लाभुकों को उपलब्ध करायी जायेगी।

10. योजना कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित राशि की निकासी निदेशक, पशुपालन, बिहार के द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी एवं बिहार लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट एजेन्सी (बी0एल0डी0ए0), पटना के पी0एल0 खाता (संख्या–PBBPLA028) में अंतरित किया जायेगा तथा व्यय हेतु संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारियों तथा IEC (Information, Education & Communication) material हेतु सूचना एवं प्रसार, पशुपालन, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

11. भौतिक लक्ष्य के अनुरूप अनुदान की राशि जिला पशुपालन पदाधिकारी को CHILD PL खाता में बिहार लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट एजेन्सी (बी0एल0डी0ए0), पटना के द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा आपूर्त्तिकर्त्ता को सत्यापित अभिश्रव के आधार पर भुगतान की जायेगी।

12. किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का निपटारा करने के लिये प्रधान सचिव/ सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

ह0/–
निदेशक, पशुपालन।

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

बिहार सरकार

ज्ञापांक– 10 नि0(ब0पा0)02/2023 4248(नि0) /पटना–15, दिनांक– 28/12 /2023

प्रतिलिपि :– आई0 टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी/ सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– परियोजना निदेशक, बी0एल0डी0ए0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

28/12/2023

निदेशक, पशुपालन।

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

बिहार सरकार

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य स्कीम के तहत समेकित बकरी एवं भेंड़ विकास योजनान्तर्गत राज्य में बकरी विकास के लिये गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले (बी0पी0एल0) परिवारों के बीच उन्नत नस्ल के तीन प्रजनन योग्य बकरी (एक इकाई) अनुदानित दर पर वितरण करने की योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य :–

क्र0 सं0	कोटि	भौतिक लक्ष्य (लाभुकों की संख्या)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपये में)
			3106 सहायक अनुदान–गैर वेतन
1	*2*	*3*	*4*
1	सामान्य	1006	122.229
2	अनुसूचित जाति	2200	300.30
3	अनुसूचित जनजाति	735	100.327
कुल :–		**3941**	**522.856**

28/12/2023
निदेशक, पशुपालन।

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

हमारा बिहार

बिहार सरकार

अनुलग्नक–2

वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य स्कीम के तहत समेकित बकरी एवं भेंड़ विकास योजनान्तर्गत राज्य में बकरी विकास के लिये गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले (बी0पी0एल0) परिवारों के बीच उन्नत नस्ल के तीन प्रजनन योग्य बकरी (एक इकाई) अनुदानित दर पर वितरण करने की योजना का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यः–

क्र0सं0	जिला का नाम	सामान्य कोटि		अनुसूचित जाति कोटि		अनुसूचित जनजाति कोटि	
		भौतिक लक्ष्य (लाभुकों की संख्या	वित्तीय लक्ष्य (रूपये में)	भौतिक लक्ष्य (लाभुकों की संख्या	वित्तीय लक्ष्य (रूपये में)	भौतिक लक्ष्य (लाभुकों की संख्या	वित्तीय लक्ष्य (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पटना	43	5,19,984	124	16,74,000	9	1,21,500
2	नालन्दा	38	4,52,160	80	10,80,000	1	13,500
3	भोजपुर	26	3,16,512	58	7,83,000	8	1,08,000
4	रोहतास	36	4,29,552	75	10,12,500	25	3,37,500
5	बक्सर	21	2,48,688	34	4,59,000	8	1,08,000
6	कैमूर	21	2,48,688	49	6,61,500	35	4,72,500
7	गया	45	5,42,592	175	23,62,500	3	40,500
8	जहानाबाद	13	1,58,256	30	4,05,000	1	13,500
9	नवादा	26	3,16,512	74	9,99,000	2	27,000
10	औरंगाबाद	21	2,48,688	80	10,80,000	2	27,000
11	अरवल	9	1,13,040	2	27,000	0	0
12	भागलपुर	30	3,61,728	43	5,80,500	54	7,29,000
13	बांका	21	2,48,688	34	4,59,000	73	9,85,500
14	मुंगेर	17	2,03,472	26	3,51,000	18	2,43,000
15	लखीसराय	13	1,58,256	22	2,97,000	5	67,500
16	जमुई	19	2,26,080	41	5,53,500	65	8,77,500
17	शेखपुरा	11	1,35,648	18	2,43,000	0	0
18	खगड़िया	13	1,58,256	31	4,18,500	0	0
19	मुजफ्फरपुर	30	3,61,728	101	13,63,500	3	40,500
20	हाजीपुर (वैशाली)	30	3,61,728	96	12,96,000	3	40,500
21	मोतिहारी	51	6,10,416	87	11,74,500	5	67,500
22	सीतामढ़ी	32	3,84,336	54	7,29,000	2	27,000

दूरभाष संख्या: 0612-2215962 ई-मेल:dirahd-bih@nic.in वेबसाइट:state.bihar.gov.in/ahd

23	शिवहर	9	1,13,040	13	1,75,500	0	0
24	बेतिया	34	4,06,944	74	9,99,000	44	5,94,000
25	दरभंगा	34	4,06,944	87	11,74,500	1	13,500
26	मधुबनी	40	4,74,768	82	11,07,000	1	13,500
27	समस्तीपुर	38	4,52,160	107	14,44,500	3	40,500
28	बेगुसराय	34	4,06,944	58	7,83,000	1	13,500
29	पूर्णियाँ	26	3,16,512	53	7,15,500	109	14,71,500
30	कटिहार	30	3,61,728	35	4,72,500	136	18,36,000
31	अररिया	17	2,03,472	50	6,75,000	29	3,91,500
32	किशनगंज	13	1,58,256	15	2,02,500	46	6,21,000
33	सहरसा	19	2,26,080	41	5,53,500	4	54,000
34	मधेपुरा	24	2,93,904	44	5,94,000	9	1,21,500
35	सुपौल	21	2,48,688	44	5,94,000	5	67,500
36	छपरा	38	4,52,160	66	8,91,000	6	81,000
37	सीवान	36	4,29,552	52	7,02,000	13	1,75,500
38	गोपालगंज	26	3,16,512	45	6,07,500	6	81,000
कूल		**1,006**	**1,20,72,672**	**2,200**	**2,97,00,000**	**735**	**99,22,500**

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

हमारा बिहार

बिहार सरकार

अनुलग्नक–3

वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य स्कीम अन्तर्गत ***"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"*** के तहत अनुदानित दर पर बकरी वितरण की योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु **आवेदन पत्र**

1. आवेदक का नाम : ....

2. पिता/पति का नाम : ....

3. जन्म तिथि : ....

4. उम्र : ....

5. शैक्षणिक योग्यता : ....

6. पेशा : ....

7. कोटि : सामान्य /अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) ....

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

(अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)

8. **स्थायी पता :–**

ग्राम : .... पोस्ट : ....

थाना : .... प्रखंड : ....

जिला : .... पिन कोड : ....

9. दूरभाष/मोबाईल न0–: ....

10. पहचान पत्र (आधार/पैन कार्ड/वोटर आई0डी0) – ....

11. बैंक खाता संख्या – ....

बैंक का नाम – ....,

शाखा का पता – ...., आई0एफ0एस0सी0–..............................

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचनाएँ सही हैं तथा योजना के लिए निर्धारित शर्तों का मेरे द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

तिथि ....   **स्थान**....................................

- -

आवेदन का प्राप्ति रसीद

प्राप्ति रसीद संख्या :– .... **जिला का नाम :–** ....

दिनांक– ..../................/2023 **समयः–................/................/............ AM/PM**

आवेदक श्री/श्रीमती..पिता/पति का नाम :– ....

ग्राम : .... पोस्ट : ....थाना : ....

प्रखंड : .... जिला : .... पिन कोड : .... द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य स्कीम अन्तर्गत ***"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना"*** के तहत अनुदानित दर पर बकरी वितरण एवं चयनित लाभुकों के प्रशिक्षण की योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र सभी वांछित अनुलग्नकों सहित प्राप्त किया।